ओंकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(दया चौधरी, न्यायमूर्ति)

**दया चौधरी न्यायमूर्ति के समक्ष**
**ओंकार सिंह - याचिकाकर्ता**
**बनाम**
**हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी**
**2003 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7084**
**05 अगस्त, 2015**

**भारत का संविधान, 1950 -अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ता, जो कि पुलिस में एएसआई था, पर रिश्वत की मांग के संबंध में आरोप - विभागीय जांच में उसे आरोप से मुक्त कर दिया गया - दंड प्राधिकारी ने स्वतंत्र रूप से साक्ष्य एकत्र करने के बाद, संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया - उपरोक्त प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर अपने एसीआर में, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया - उच्च न्यायालय ने माना कि हालांकि वैध कारण के लिए दंडित करने वाला प्राधिकरण जांच रिपोर्ट से असहमत हो सकता है, लेकिन यह किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति को उचित ठहराने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकता है - प्रतिशोध की बू आती है - दंड देने वाले प्राधिकरण का आदेश और अनिवार्य का आदेश सेवानिवृत्ति रद्द - रिट याचिका स्वीकार की गई।**

**अभिनिर्धारित किया कि दंडित प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भिन्न हो सकता है, लेकिन उसे स्वतंत्र रूप से साक्ष्य एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं है ताकि जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की जा सके, खासकर जब उन्हें दंड प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई हो।**

(पैरा 15)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजबीर शेरावत

उत्तरदाता-राज्य की ओर से हरीश राठी, सीनियर डीएजी हरियाणा।

दया चौधरी, न्यायमूर्ति :-

(1) 2003 की 7084, 2002 की 16359, 2002 की 16498, 2003 की 18979, 2003 की 16573 और 2003 की 14818 वाली छह रिट याचिकाएं याचिकाकर्ता-ओंकार सिंह द्वारा विभिन्न विवादित आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं।

2. उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं का निपटारा एक सामान्य आदेश पारित करके किया जाएगा क्योंकि सभी तथ्य और कानून बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: -

(i) याचिकाकर्ता द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा को चुनौती देने के लिए 2003 का सीडब्ल्यूपी नंबर 7084 दायर किया गया है। छज्जू राम नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 27.09.2001 को की गई शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी। उक्त छाजू राम द्वारा 29.09.2001 को उपायुक्त, पंचकुला को एक शपथ पत्र भी दिया गया था, जिसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, पंचकुला को भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता को 18.06.2002 को आरोप-पत्र दिया गया था और याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2002 के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया था। उस समय, पुलिस अधीक्षक-मनोज यादव को अंबाला स्थानांतरित कर दिया गया था। संयोग से, याचिकाकर्ता को भी 16.08.2002 को उसी स्टेशन यानी अंबाला में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, पुलिस अधीक्षक-मनोज यादव के स्थानांतरण पर, उन्हें भी स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि जांच रिपोर्ट, जो उसके पक्ष में थी। याचिकाकर्ता के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। 31.08.2002 को पुलिस अधीक्षक द्वारा एक असहमति नोट दिया गया था और उसी दिन एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का विवादित आदेश 18.09.2002 को पारित किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने

ओंकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(दया चौधरी, न्यायमूर्ति)

संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के उक्त आदेश के खिलाफ अपील और संशोधन दायर किया, लेकिन इसे खारिज/खारिज कर दिया गया।

(ii) याचिकाकर्ता द्वारा इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत होने के लिए 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16359 इस आधार पर दायर किया गया है कि उसे विभागीय पदोन्नति समिति के अनुमोदन पर 27.07.2001 को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा सूची 'एफ' में सूचीबद्ध किया गया था। उस अवधि तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल एसीआर नहीं थी। इसके बाद, छाजू राम नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर 27.11.2001 को पुलिस अधीक्षक, पंचकुला द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ 18.06.2002 को आरोप तय किया गया था और बाद में, जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2002 के माध्यम से याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उनके कनिष्ठ, अर्थात् सब इंस्पेक्टर गुरुद्वय राम को आदेश के माध्यम से इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। दिनांक 18.02.2002 और उस समय तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल एसीआर नहीं था। याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 05.05.2001 से 31.03.2002 तक उसी पुलिस अधीक्षक, पंचकुला द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान दर्ज की गई थी और उसे 27.06.2002 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता के कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया था 18.02.2002 को और याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच के लिए 18.06.2002 को यानी चार महीने बाद आरोप पत्र तय किया गया। जब याचिकाकर्ता से कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया तो उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार यदि याचिकाकर्ता को 18.02.2002 को इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया होता तो पुलिस अधीक्षक दंड देने वाला प्राधिकारी नहीं होता और वह दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा का आदेश पारित नहीं कर सकता था।

(iii) 05.05.2001 से 31.03.2002 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणियों को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16498 दायर किया गया है, जिसमें उनकी सत्यनिष्ठा को छाजूराम की शिकायत के आधार पर 'संदिग्ध' के रूप में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2002 के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया था और प्रतिकूल टिप्पणी उन्हें 27.06.2002 को बताई गई थी । दिनांक 31.08.2002 के आदेश के पारित होने के समय कोई असहमति नोट नहीं था । जिसने याचिकाकर्ता को प्रशंसा पत्र के साथ-साथ नकद इनाम भी दिया था, उसने याचिकाकर्ता की सत्यनिष्ठा को भी 'संदिग्ध' पाया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गईं ताकि उसकी पदोन्नति को रोका जा सके क्योंकि उसके मामले को 27.07.2001 को डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी गई थी, इसके बाद एसीआर दर्ज की गई है। यहां तक कि शिकायतकर्ता छाजू राम ने एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें इतने शब्दों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया कि हेड कांस्टेबल-ओम प्रकाश ने ही पैसे लिए थे और याचिकाकर्ता की किसी भी तरह से कोई भूमिका नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन भी खारिज कर दिया गया.

(iv) याचिकाकर्ता द्वारा 12.10.2002 से 31.03.2003 तक प्रभारी आरएएफ पुलिस लाइन, कुरुक्षेत्र के रूप में तैनात रहते हुए एसीआर में दर्ज की गई टिप्पणियों को चुनौती देने के लिए 2003 का सीडब्ल्यूपी नंबर 18979 दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक, कुरुक्षेत्र द्वारा "अच्छी" के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला द्वारा इसे डाउनग्रेड कर दिया गया था। हालाँकि, यह तथ्य याचिकाकर्ता को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बताया गया था। सेवानिवृत्ति से पहले याचिकाकर्ता को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही इसकी जानकारी दी गई। याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन दिया लेकिन उसे 28.10.2003 यानी उसकी सेवानिवृत्ति के बाद खारिज कर दिया गया।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा 2003 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16573 दायर किया गया है। याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ ही दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश; 05.05.2001 से 31.03.2002 तक एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर एक अस्थायी वेतन वृद्धि रोक दी गई और तीन निंदाएं पारित की गईं, सेवानिवृत्ति के समय याचिकाकर्ता की आयु 48 वर्ष थी और उसकी सेवा तीस वर्ष और छह महीने की थी। और उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष 2013 में होने वाली थी। याचिकाकर्ता को 50 वर्ष से कम आयु होने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न निर्णयों में भी माना गया है।

(vi) याचिकाकर्ता द्वारा एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को चुनौती देने के लिए 2003 का सीडब्ल्यूपी नंबर 14818 दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि वह 30.06.2002 को निलंबन अवधि के दौरान पूरी वर्दी में पुलिस अधीक्षक, पंचकुला के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्हें पुलिस अधीक्षक के स्टेनो के साथ दुर्व्यवहार के आधार पर निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार जब वह पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसे निलंबन के आदेश से अवगत नहीं कराया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड सराहनीय और बहुत उत्कृष्ट रहा है क्योंकि उसने कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति अर्जित की है। याचिकाकर्ता को 28.08.2001 को एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया गया था और वर्ष 2001 में उसे नकद पुरस्कार भी दिया गया था। पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले की सिफारिश पुलिस अधीक्षक, अर्थात्, मनोज यादव ने भी की थी और उसके बाद, उन्होंने इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे 'एफ' सूची में लाया गया (इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए)। इसके बाद,

पुलिस उपाधीक्षक परमजीत अहलावत की मिलीभगत से उसी अधिकारी ने याचिकाकर्ता का करियर खराब कर दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता को श्री मनोज यादव का फोन आया था, ताकि वह आईपीसी की धारा 500, 504, 506 और 452 के तहत शिकायत वापस ले सके। याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक श्री परमजीत सिंह के खिलाफ उनके दुर्व्यवहार के संबंध में दायर की गई। ऐसा करने से इनकार करने पर, वह याचिकाकर्ता के खिलाफ छाजू राम द्वारा शिकायत दर्ज करने में कामयाब रहे और उस आधार पर, विभागीय जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से असहमत होकर और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई पर्याप्त अवसर दिए बिना, संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित कर दिया गया। याची की इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति को डीजीपी स्तर तक मंजूरी दे दी गई और उसके बाद बदनीयती से इसे रोक दिया गया। यहां तक कि याचिकाकर्ता के कनिष्ठ को भी 18.02.2002 को पदोन्नत कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को पदोन्नत होने से रोकने के लिए, उसे एक गलत आरोप पत्र दिया गया था। याचिकाकर्ता को उन्हीं आरोपों पर 05.05.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि के लिए एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करके पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ जांच पहले से ही लंबित थी। याचिकाकर्ता ने इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति का दावा करते हुए 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16359 दायर किया और उसके बाद, उसने एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देते हुए 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16498 दायर किया। याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2002 द्वारा दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से असहमत होकर, पुलिस अधीक्षक ने 18.09.2002 को याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी। वकील का यह भी कहना है कि

ओंकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(दया चौधरी, न्यायमूर्ति)

याचिकाकर्ता को झूठा फंसाने और उसे पदोन्नति से वंचित करने के लिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा इस आरोप पर एक और जांच शुरू की गई थी कि उसने अपने स्टेनो के साथ दुर्व्यवहार किया था। एक अन्य जांच में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि वह वर्दी में पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुआ, जबकि वह निलंबित था। इस आरोप के जवाब में विद्वान वकील का कहना है कि यह घटना उसी दिन हुई जब याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था और उसे इस आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता को उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे जांच में दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके बाद झूठे आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता को फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की गई होती, तो उन्हें पदोन्नत कर दिया गया होता और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया गया होता। याचिकाकर्ता के खिलाफ ये सारी कार्रवाई सिर्फ उसकी पदोन्नति रोकने और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार बनाने के लिए की गई है। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अंतिम असहमति दर्ज करने से पहले कभी भी कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। प्रस्तावित सज़ा का असहमति नोट और कारण बताओ नोटिस एक ही तारीख और एक ही समय पर जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील का यह भी तर्क है कि याचिकाकर्ता को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेशों के तहत उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। पुलिस अधीक्षक, निचला प्राधिकारी होने के नाते, याचिकाकर्ता के खिलाफ सजा का आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थे। पुलिस अधीक्षक उप निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नहीं थे। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता छाजू राम खुद पुलिस उपायुक्त के सामने पेश हुए और अपना हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता कथित घटना में शामिल नहीं था। यहां तक कि जांच

अधिकारी के समक्ष उसका बयान भी दर्ज कराया गया लेकिन फिर भी उस पर विचार नहीं किया गया। हेड कांस्टेबल-ओम प्रकाश ने भी जांच अधिकारी के समक्ष गवाही दी कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई पैसा स्वीकार नहीं किया गया था और वह किसी भी तरह से मामले में शामिल नहीं था। फिर भी याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उसने गवाहों पर इस तरह का बयान देने के लिए दबाव डाला है। केवल मौखिक दावे के आधार पर कि गवाह ने पुलिस अधीक्षक को निजी तौर पर बताया था कि याचिकाकर्ता ने रिश्वत ली थी, कार्रवाई की गई, जबकि जांच अधिकारी के सामने इस पहलू पर न तो कोई दस्तावेज था और न ही कोई ठोस सामग्री थी। पुलिस अधीक्षक ने एक नया गवाह, रमेश गुप्ता, पेश करने की भी कोशिश की, इस तथ्य के बावजूद कि उसका नाम गवाहों की सूची में नहीं था। कहा गया कि रमेश गुप्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उसे याचिकाकर्ता के चाचा भोपाल सिंह ने गिरफ्तार किया था, जो उस समय स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। यहां तक कि वह घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी गवाही पर भरोसा किया गया, जबकि वह महज अफवाह थी। इस पहलू पर जांच अधिकारी के समक्ष न तो कोई दस्तावेज था और न ही कोई ठोस सामग्री। पुलिस अधीक्षक ने एक नया गवाह, रमेश गुप्ता, पेश करने की भी कोशिश की, इस तथ्य के बावजूद कि उसका नाम गवाहों की सूची में नहीं था। कहा गया कि रमेश गुप्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उसे याचिकाकर्ता के चाचा भोपाल सिंह ने गिरफ्तार किया था, जो उस समय स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। यहां तक कि वह घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी गवाही पर भरोसा किया गया, जबकि वह महज अफवाह थी। इस पहलू पर जांच अधिकारी के समक्ष न तो कोई दस्तावेज था और न ही कोई ठोस सामग्री। पुलिस अधीक्षक ने एक नया गवाह, रमेश गुप्ता, पेश करने की भी कोशिश की, इस तथ्य के बावजूद कि उसका नाम गवाहों की सूची में नहीं था। कहा गया कि रमेश गुप्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उसे

याचिकाकर्ता के चाचा भोपाल सिंह ने गिरफ्तार किया था, जो उस समय स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। यहां तक कि वह घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी गवाही पर भरोसा किया गया, जबकि वह महज अफवाह थी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **योगीनाथ डी. बागड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (1), दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन बनाम हरियाणा राज्य (2) , एसआई राम लाल बनाम हरियाणा राज्य (3) एसआई राम निवास बनाम हरियाणा राज्य (4) एसआई करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य एसएलआर (5), एएसआई मान सिंह बनाम पंजाब राज्य (6) और एचसी सुरेंद्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य (7)**, उनके तर्कों के समर्थन में विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया है।

1. 1999 (4) आरएसजे 265
2. 1995 (1) आरएसजे 794
3. एसएलआर 1997 (2) 421
4. एससीटी 2005 (1) 343
5. एसएलआर 1989 (2) 345
6. एसएलआर 1973 (1) 365
7. आरएसजे 2002 (1) 15

6. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड अच्छा था क्योंकि वर्ष 2001-02 के दौरान उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज की गई थीं और उसकी सत्यनिष्ठा भी "संदिग्ध" पाई गई थी। याचिकाकर्ता ने "सत्यनिष्ठा संदिग्ध" टिप्पणी के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया लेकिन उक्त अभ्यावेदन को भी खारिज कर दिया गया। विद्वान राज्य वकील का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता का नाम पदोन्नति के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन सीडब्ल्यूपी संख्या 7084 में आईपीसी की धारा 500/504/506 के तहत 2000 की एफआईआर संख्या 161 के

तहत एक आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया गया था। 2003 के 10 मुलाना और रुपये की राशि स्वीकार करने के लिए आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में विभागीय जांच लंबित होने के कारण भी। कालका निवासी छाजू राम से 10,000/- की रिश्वत ली। उक्त आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच भी की गई. विद्वान वकील का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता को एक विशेष कार्य के लिए "प्रशंसा प्रमाणपत्र" के साथ-साथ नकद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था क्योंकि उसने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो जमानत पर छूट गया था, लेकिन बाद में, उसका सेवा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था और इसलिए, उसे पदोन्नत नहीं किया गया था और उन पर संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया गया। विद्वान राज्य वकील का यह भी कहना है कि प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा एक विशिष्ट उत्तर दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। याचिकाकर्ता को सजा दी गई, जिसे दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता। विभागीय जांच की फाइल पर उपलब्ध संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद असहमति आदेश पारित किया गया। असहमति नोट को उचित सोच-विचार के साथ पारित किया गया और यह बोलने लायक था। इससे असहमत होने के दस आधारों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया कि वह जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से कैसे संतुष्ट नहीं थे।

7. विद्वान राज्य वकील का यह भी कहना है कि परमजीत अहलावत, पुलिस उपाधीक्षक किसी भी तरह से प्रतिवादी नंबर 4 यानी पुलिस अधीक्षक से संबंधित नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि उसी अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दिए गए "प्रशस्ति प्रमाणपत्र" के साथ-साथ "नकद पुरस्कार" ने अपने आप में यह साबित कर दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं थी। याचिकाकर्ता को असहमति नोट देने के बाद एक उचित नोटिस जारी किया गया था और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर विशिष्ट कारण बताकर असहमति जताई गई थी।

8. पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनीं और आक्षेपित आदेशों के साथ-साथ फाइल पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का भी अवलोकन किया।

9. माना जाता है कि याचिकाकर्ता को शुरू में 23.04.1973 को अंबाला रेंज में कांस्टेबल के रूप में चुना गया और भर्ती किया गया और उसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इसके बाद, उन्हें 06.09.1979 से हेड कांस्टेबल के रूप में और 29.11.1988 से एएसआई के रूप में पदोन्नत किया गया। फिर, उन्हें 22.03.1996 से सब इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। उनके नाम की सिफारिश की गई और उन्हें नियम 13.15 के तहत पदोन्नति सूची 'एफ' पंजाब पुलिस नियम, 1934 में लाया गया। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, वह इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो गए। 27.07.2001 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति ने याचिकाकर्ता को पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र पाया। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को थाना प्रभारी, कालका के पद पर तैनात रहने के दौरान सराहना मिली थी और उनके सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद उन्हें एक प्रशंसा पत्र भी जारी किया गया था। प्रतिवादी नंबर 4 यानी पुलिस अधीक्षक, पंचकुला द्वारा दर्ज की गई कुछ अन्य अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ता की सिफारिश को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“2. उपरोक्त उद्धृत विषय पर इस जिले के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम अग्रेषित किये जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि इन अधिकारियों की समग्र दक्षता बहुत अच्छी रही है और उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी और समर्पण और समर्पण के साथ निभाया और उन्होंने अपना सौंपा कार्य पूरी निष्ठा, कड़ी मेहनत और उचित तरीके से किया। यदि उन्हें किसी भी समय किसी भी ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तो वे उसके लिए तैयार रहते हैं. वे अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझते हैं. उनका रिकॉर्ड उत्कृष्ट है और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल

टिप्पणी नहीं है। जहां तक अराजपत्रित अधिकारियों का सवाल है, उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आपके कार्यालय में रखी जाती है।

3. इंस्पेक्टर राजीव देशवाल.

4. सब इंस्पेक्टर ओंकार सिंह, 179.ए

5 से 14 xx xx xx xx"

10. रिकॉर्ड को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पहले याचिकाकर्ता की पत्नी कांता चौधरी द्वारा परमजीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, यमुनानगर के खिलाफ उनके दुर्व्यवहार के संबंध में धारा 500, 504, 506 और 452 आई.पी.सी. के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता पर उसकी पत्नी द्वारा दायर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस उपाधीक्षक परमजीत सिंह उसके करीबी दोस्त थे, लेकिन याचिकाकर्ता सहमत नहीं था और इसलिए, श्री मनोज यादव-प्रतिवादी नंबर 4 नाराज हो गए और याचिकाकर्ता को धमकी दी परिणाम भुगतने के लिए. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज की गईं। उन्हें कालका से पंचकुला स्थानांतरित कर दिया गया। पहले वह कालका में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात थे, लेकिन बाद में, उन्हें पंचकुला में प्रभारी पुलिस पोस्ट के रूप में तैनात किया गया, जो ग्रेड में निम्न था। कालका निवासी छाजू राम द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, आदेश दिनांक 27.11.2001 के तहत उनके खिलाफ जांच कार्यवाही शुरू की गई थी। जांच में, छाजू राम ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक शपथ पत्र के साथ एक बयान दिया। जांच अधिकारी ने गवाहों की एक नई सूची तैयार की, जिसमें कालका निवासी रमेश गुप्ता का नाम भी जोड़ा गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उसकी रमेश गुप्ता के साथ पुरानी दुश्मनी थी। याचिकाकर्ता के चाचा भोपाल सिंह को कालका में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बताया कि रमेश गुप्ता को पुलिस स्टेशन कालका में आईपीसी की

ओंकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(दया चौधरी, न्यायमूर्ति)

धारा 302 के तहत दर्ज मामले एफआईआर नंबर 84/84 में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा नए गवाह, रमेश गुप्ता को हटाने के लिए पुलिस अधीक्षक, पंचकुला को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जांच पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), यमुनानगर को स्थानांतरित कर दी गई थी। दिनांक 12.08.2002 की जांच रिपोर्ट में, याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर बरी कर दिया गया था: -

"इस विभागीय जांच में, मैंने पीडब्ल्यू और डीडब्ल्यू के बयानों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और किसी भी गवाह ने एसआई ओंकार सिंह के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया है। सभी गवाहों ने अपने बयानों में कहा है कि छाजू राम का विवाद हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश द्वारा सुलझाया गया था और शिकायतकर्ता पीडब्लू 7 ने कहा है कि SHO, SI ओंकार सिंह ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया और आगे कहा कि उन्हें उनके द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि सम्मानजनक तरीके से समझौता कराया गया था. PW7 ने अपने बयान में आगे कहा है कि उसने किसी के उकसाने पर एस.एच.ओ. ओंकार सिंह के खिलाफ शिकायत की थी और उसने एक शपथ पत्र डी.डब्ल्यू. 2/A और डी.डब्ल्यू. 1/A भी प्रस्तुत किया था। इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एसआई ओंकार सिंह के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और मैं एसआई ओंकार सिंह को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करता हूं, लेकिन पीडब्लू-7 छाजू राम, शिकायतकर्ता ने कहा है कि हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने 19.06.2001 को रु. 5,000/- और उसके बाद पुनः रु. तीन या चार दिन बाद 5,000/- रु. हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश नंबर 76/पीकेएल के इस दुर्व्यवहार ने पुलिस विभाग की छवि खराब कर दी है, इसलिए, मैं हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश करता हूं।

11. इसके बाद, याचिकाकर्ता को 16.08.2002 को पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला द्वारा पंचकुला से अंबाला स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी जांच फ़ाइल भी पुलिस अधीक्षक, अंबाला को भेज दी गई, जो संयोग से वही अधिकारी यानी मनोज यादव थे और एक असहमति नोट जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर उनके द्वारा तैयार किया गया था।

12. नोटिस देने पर याचिकाकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया लेकिन फिर भी उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई। दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के खिलाफ अपील और पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता का मामला पदोन्नति के लिए लंबित था, जबकि 27.09.2001 को छाजू राम नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के कारण इसे डीजीपी स्तर तक मंजूरी दे दी गई थी। याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं किया गया था और उसके कनिष्ठ को 18.02.2002 को पदोन्नत किया गया था। यह भी प्रासंगिक है यहां बता दें कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 18.06.2002 को आरोप पत्र गठित किया गया था, याचिकाकर्ता से कनिष्ठ को 18.02.2002 को पदोन्नत किया गया था। 05.05.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट आरोप के आधार पर दर्ज की गई थी। शीट, जबकि, पूछताछ में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। दिनांक 30.08.2002 के असहमति नोट के कारण उन पर संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियाँ रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया। याची की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी के कारण उसे निरीक्षक पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ एक और शिकायत की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने पुलिस अधीक्षक के स्टेनो के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि वह वर्दी में पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुआ, जबकि उसे निलंबन आदेश की जानकारी नहीं दी गई और उसे निलंबन आदेश पारित होने की जानकारी नहीं थी और वह वर्दी में था। उन्हें निलंबित

कर दिया गया. उन्हें दिनांक 18.09.2002 के आदेश द्वारा संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी।

13. अंततः याचिकाकर्ता को 15.10.2003 को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया। प्रतिशोध की पराकाष्ठा इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी 12.10.2002 से 31.03.2003 की अवधि के लिए उसकी एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दी गई थी। इस एसीआर को पुलिस अधीक्षक ने "अच्छा" लिखा था। हालाँकि, पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला ने इसे डाउनग्रेड कर दिया और वह भी याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना, जो 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर 18979 में चुनौती का विषय भी है।

14. 27.06.2002 से 18.09.2002 तक की अवधि के लिए एसीआर में दर्ज टिप्पणियों के कारण मनोज यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक पंचकुला और पुलिस अधीक्षक, अंबाला के रूप में दी गई सजा को छोड़कर, पूरे सेवा रिकॉर्ड के दौरान कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी। याचिकाकर्ता का. प्रतिकूल एसीआर 27.06.2002 को लिखी गई तथा तीन निन्दा की सजा 03.09.2002 को दी गई तथा पुनः वेतन वृद्धि रोकने की सजा 18.09.2002 को दी गई रिकार्ड पर यह भी सिद्ध हो चुका है कि असहमति नोट तथा प्रस्तावित सजा का कारण बताओ नोटिस एक ही तारीख को दिए गए थे. यहां तक कि याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा बरी कर दिया गया था और एक हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश के खिलाफ आरोप साबित पाया गया था, लेकिन जांच रिपोर्ट से असहमत होकर, श्री। मनोज यादव ने कहा था कि थाना प्रभारी होने के नाते याचिकाकर्ता पर घटना को रोकने की पूरी जिम्मेदारी थी। केवल उस अवलोकन के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई, जबकि अधिक से अधिक यह अक्षमता या कार्रवाई में कमी का आरोप हो सकता था लेकिन इसे कदाचार करार दिया गया।

15. शिकायतकर्ता-छाजू राम ने पुलिस उपायुक्त के समक्ष अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कहा कि याचिकाकर्ता घटना में शामिल नहीं था। यही बयान उक्त छाजूराम ने गवाह के रूप में उपस्थित होकर जांच अधिकारी के समक्ष दिया था। यहां तक कि हेड कांस्टेबल-ओम प्रकाश ने भी जांच अधिकारी के सामने गवाही दी कि याचिकाकर्ता ने कोई पैसा नहीं लिया और वह उस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा बयान देने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा ओम प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उन पर दबाव बनाने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस उपायुक्त के समक्ष विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के बावजूद, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता घटना में शामिल नहीं था, फिर भी, उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा हलफनामे में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता घटना में शामिल नहीं था और उसके द्वारा किसी पैसे की मांग नहीं की गई थी। एक नए गवाह, अर्थात् रमेश गुप्ता, को बिना किसी प्रासंगिकता के गवाह के रूप में जोड़ा गया था और उसके साक्ष्य केवल याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए एकत्र किए गए थे। दंड देने वाला प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से भिन्न हो सकता है, लेकिन उसके पास स्वतंत्र रूप से साक्ष्य एकत्र करने का कोई काम नहीं है, ताकि वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो सके, खासकर जब दंड प्राधिकारी द्वारा उनकी पुष्टि की गई हो। . ऐसी स्थिति में, दंड प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न केवल अवैध है, बल्कि इसमें दबाव और इरादों की बू आती है।

16. हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के फैसले में भी यही टिप्पणी की गई है।

17. इसी प्रकार, सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, प्रतिकूल रिपोर्टों के विरुद्ध अभ्यावेदन पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना है। केवल सक्षम प्राधिकारी के पास संबंधित कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड का आकलन और मूल्यांकन करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति और विवेक है कि क्या

कर्मचारी सार्वजनिक हित में बनाए रखने के लिए उपयुक्त है या सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। इस तरह के विवेक का प्रयोग किए बिना, प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह बिना किसी दिमाग का उपयोग किए किया गया निर्णय है जैसा कि एसआई राम निवास के मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के फैसले में माना गया है। पैरा नं. उक्त निर्णय के 13 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"13. उपर्युक्त निष्कर्ष के बावजूद, हम आश्वस्त हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। नियम 9.18(1) के नीचे संलग्न नोट पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की शक्ति का प्रयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके कर्मचारी को बनाए रखने की उपयुक्तता और वांछनीयता के संबंध में अपना मूल्यांकन करना होगा। इस प्रयोजन के लिए, कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार करना आवश्यक है जिसमें उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और विभागीय पूछताछ और दंड, यदि कोई हो, तत्काल अतीत के रिकॉर्ड पर अधिक जोर देना और फिर निर्णय लेना शामिल है कि कर्मचारी को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। 55 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने रहें। वर्तमान मामले में, पुलिस अधीक्षक, अंबाला द्वारा प्रतिवादी के सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन करने के लिए यह राय बनाने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया गया कि उसे 55 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बनाए रखना सार्वजनिक हित में होगा या नहीं। . बल्कि, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला रेंज, अंबाला के निर्देशों के तहत काम किया, जिन्होंने भी प्रतिवादी के सेवा रिकॉर्ड पर स्वतंत्र रूप से ध्यान नहीं दिया और केवल अधिकारी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग न करने के कारण प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दूषित हो गई है।"

18. याचिकाकर्ता को पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, केवल पुलिस महानिरीक्षक ही सक्षम प्राधिकारी थे, न कि पुलिस अधीक्षक निचले प्राधिकारी थे।

19. राम लाल के मामले (सुप्रा) में शामिल मुद्दा याचिकाकर्ता के समान था, उसे पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि, उसे वापस कर दिया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायक उप निरीक्षक का पद, जो पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.3(2) के मद्देनजर सक्षम नहीं था। रामलाल की ओर से दायर याचिका मंजूर कर ली गई.

20. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, लेकिन दिनांक 30.08.2002 के असहमति नोट के कारण, उसे संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी। याचिकाकर्ता की प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण उन्हें इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। एक अन्य शिकायत भी की गई थी जिसमें पुलिस अधीक्षक के स्टेनो के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था और उस मामले में भी जांच शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता को किसी भी शिकायत के बारे में जानकारी नहीं थी और वह उचित वर्दी में पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुआ, जबकि उसे निलंबित कर दिया गया था। रिकॉर्ड पर यह साबित नहीं हुआ है कि निलंबन के आदेश की जानकारी याचिकाकर्ता को दी गई थी। पुलिस अधीक्षक के समक्ष उचित वर्दी में उपस्थित होने के आरोप के कारण ही याचिकाकर्ता को असंचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई।

21. माना कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उस स्थिति में पारित किया जा सकता है, जब किसी सरकारी कर्मचारी की उपयोगिता नहीं रह गई हो या उसे मरी हुई लकड़ी की तरह काट देना आवश्यक हो या उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रतिकूल प्रविष्टि हो कि उन्हें अब सार्वजनिक सेवा में बने रहने की अनुमति देना सार्वजनिक हित में नहीं है, सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं

लेकिन समय से पहले सेवानिवृत्ति के आदेश को सजा के रूप में नहीं माना या पारित नहीं किया जा सकता है जैसा कि **बीआर अग्रवाल बनाम चेयरमैन, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (8)** मे माना गया।

8. 2004 (6) एसएलआर 179

**बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी , बारीपदा (9)** में सेवानिवृत्त होने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। एक सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से।

9. 1992 (2) एससीटी 92

'ईमानदारी संदिग्ध' की प्रतिकूल टिप्पणी एक छाजू राम की शिकायत के आधार पर पंचकुला के पुलिस अधीक्षक, मनोज यादव द्वारा दर्ज की गई थी, लेकिन छाजू राम ने शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता को 12.08.2002 को जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, जबकि, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पहले लिखी गई थी और उसे 27.06.2002 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, असहमति नोट उस समय मौजूद नहीं था क्योंकि इसे 31.08 को पारित किया गया था। .2002 इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को 28.08.2001 को उसी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशंसा पत्र के साथ-साथ नकद पुरस्कार भी मिला। यहां तक कि उसके मामले की सिफारिश उसी पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहकर की गई थी कि याचिकाकर्ता का रिकॉर्ड अच्छा है। याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में "ईमानदारी" के संबंध में टिप्पणियाँ दर्ज की गईं, जबकि इसे 27.07.2001 को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की ईमानदारी को संदिग्ध माना गया था छाजू राम नामक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के कारण पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि कभी भी पैसे की मांग नहीं की

गई थी। याचिकाकर्ता को 05.05.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि के लिए एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर 15.10.2003 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था; दो वेतनवृद्धियाँ स्थायी प्रभाव से रोकी गयीं तथा एक वेतनवृद्धि अस्थायी प्रभाव से रोकी गयी। याचिकाकर्ता की एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के मामले को चुनौती दी गई थी और वह स्वीकारोक्ति के बाद भी लंबित था। सेवानिवृत्ति के समय याचिकाकर्ता की आयु 48 वर्ष थी और उसकी सेवा तीस वर्ष छह माह की थी। इससे पहले, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और उसका सारा सर्विस रिकॉर्ड अच्छा था। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1998 में 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। यदि याचिकाकर्ता को उस समय सेवानिवृत्त कर दिया गया होता, तो उसे 50 वर्ष से कम आयु होने के कारण नियमों के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था।

22. याचिकाकर्ता की इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति के मामले को डीजीपी स्तर तक मंजूरी दे दी गई और उसके बाद छाजू राम की शिकायत के कारण उसकी पदोन्नति नहीं हो सकी, जबकि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ को 18.02.2002 को पदोन्नत कर दिया गया। उस समय, याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया था और उक्त शिकायत सिर्फ उसे पदोन्नति से वंचित करने के लिए की गई थी। 18.06.2002 को विभागीय जांच शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र तय किया गया था और उसी आरोप के आधार पर 05.05.2001 से 31.03.2002 तक की अवधि के लिए एसीआर में "सत्यनिष्ठा संदिग्ध" की टिप्पणी दर्ज की गई थी। जांच लंबित थी. याचिकाकर्ता ने इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति का दावा करते हुए 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16359 भी दायर किया था और उसके बाद, उसने एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देते हुए 2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 16498 दायर किया था। याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.08.2002 द्वारा दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन असहमति नोट 31.08.2002 को दिया गया था और संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा 18.09.2002 को पुलिस अधीक्षक

मनोज यादव द्वारा दी गई थी। अपने द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को उचित ठहराएं ताकि याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित किया जा सके। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने पुलिस अधीक्षक के स्टेनो के साथ दुर्व्यवहार किया और पुलिस अधीक्षक के सामने वर्दी में पेश हुआ, जबकि वह निलंबित था। हालाँकि, इन पूछताछों में याचिकाकर्ता को दुर्व्यवहार के आरोपों से बरी कर दिया गया। निलंबन की अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में मानने का आदेश दिया गया। वर्दी में उपस्थित होने के आरोप में 18.09.2002 को असंचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई

23. छाजू राम के बयान और जांच कार्यवाही में नए गवाह अर्थात् रमेश गुप्ता को पेश करने के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर राज्य के विद्वान वकील द्वारा विवाद नहीं किया गया है। इस बात पर भी विवाद नहीं किया गया है कि उक्त गवाह आजीवन कारावास का दोषी था और उसे याचिकाकर्ता के चाचा भोपाल सिंह ने गिरफ्तार किया था। यहां तक कि उक्त गवाह-रमेश गुप्ता ने भी यह नहीं बताया था कि वह घटना का चश्मदीद गवाह था। केवल यह कहने से कि छाजूराम ने पुलिस अधीक्षक को इस घटना के बारे में बताया था, उसकी गवाही पर भरोसा कर लिया गया, जो सुनी-सुनाई बात थी। कहा कि छाजू राम ने पहले ही अपना हलफनामा दाखिल कर दिया था कि याचिकाकर्ता इसमें शामिल नहीं था। अंततः, याचिकाकर्ता को 05.05.2001 से 31.03.2002 की अवधि के लिए उसकी एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई; संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक और तीन निन्दा। इसके बाद, पुलिस महानिरीक्षक, अंबाला द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.02.2003 द्वारा तीन निंदाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से सभी तीन निंदाओं को जारी रखने का आदेश दिया गया।

24. उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को एक अधिकारी अर्थात पुलिस अधीक्षक मनोज यादव द्वारा बलि का बकरा बनाया गया है।

25. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथ्यों के साथ-साथ कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों और 2003 की संख्या 7084 (दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने की सजा को चुनौती देने वाली) रिट याचिकाओं में योग्यता है। ); 2002 का 16359 (इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत होने के लिए); 2002 का 16498 (05.05.2001 से 31.03.2002 की अवधि के लिए एसीआर में दर्ज टिप्पणियों को चुनौती देते हुए); 2003 का 18979 (12.10.2002 से 31.03.2003 तक एसीआर में दर्ज टिप्पणियों को चुनौती देते हुए); 2003 का 16573 (अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देते हुए) और 2003 के 14818 (एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को चुनौती देते हुए) की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश दिनांक 18.02.2002 और 07.02.2003 (अनुलग्नक पी-6 और पी-8, क्रमशः) स्वीकार किए जाते हैं। 2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7084 में); 16.09.2002 (2002 के सीडब्ल्यूपी संख्या 16359 में अनुबंध पी-6); 27.06.2002 और 09.09.2002 (2002 के सीडब्ल्यूपी संख्या 16498 में क्रमशः अनुबंध पी-2 और पी-5); 11.06.2003 और 13.11.2003 (2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 18979 में क्रमशः अनुबंध पी-3 और पी-7); 07.10.2003 (2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7084 में परिशिष्ट पी-5 2003 के 22 सीडब्ल्यूपी संख्या 16573 ); 18.09.2002, 04.04.2003 और 30.04.2003 ( 2003 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14818 में क्रमशः अनुबंध पी-5, पी-7 और पी-8 ) को अलग रखा गया है।

26. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया जाता है और वह याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने पहले के बकाया का भी हकदार होगा।

ओंकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(दया चौधरी, न्यायमूर्ति)

**अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**खुश करण जोत सिंह गिल**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
**चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी**